

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स रंजीत कुमार द्वारा गया जिला के अंचल-गुरुआ के गया मोरहर-29 बालू घाट, ग्राम-बेलोटी और फुलवरिया, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-51.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-25.09.2020 को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, गुरुआ, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1123/2020, दिनांक-24.07.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक-23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। प्रस्तावित परियोजना में खनन बिहार राज्य सरकार द्वारा "अनुमोदित खनन योजना" के अनुसार केवल वैज्ञानिक रूप से किया जायेगा जिससे खनन पट्टा तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों का भौगोलिक व पर्यावरणीय स्वरूप न बदलें। परियोजना में खनन अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) विधि द्वारा अनुमोदित है अर्थात् खनिज की निकासी व ढूलाई हेतु मशीनों का उपयोग होगा। प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार का विष्फोटक व ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग, पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का इस्तेमाल एवं खराब ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। ढुलाई और निकास मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन भार को नियंत्रण रखा जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

अपर समाहर्ता (राजस्व), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में बालू उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री मुन्ना सिंह, पिता—श्री किशोर सिंह, ग्राम—बेलौटी, प्रखण्ड—गुरुआ, जिला—गया, द्वारा पूछा गया कि बालू लदे वाहनों का आवागमन के कारण प्रदूषण होगा इसके लिए क्या उपाय है।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव ने बताया कि बालू को ट्रक एवं ट्रेक्टर द्वारा लोडिंग मानकों को ध्यान में रखकर एवं तिरपाल से ढककर वाहनों का आवागमन किया जायेगा।

2. श्री अशोक सिंह, पिता—श्री राम प्रवेश सिंह, ग्राम—बेलौटी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढूलाई के लिए किस प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जायेगा।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई खनन पट्टे पर पहुँचने वाले सड़क को ध्यान में रख कर किया जायेगा। सड़क की चौड़ाई के अनुसार वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा। अगर सड़क की चौड़ाई कम हो तो ट्रेक्टर का उपयोग किया जायेगा एवं सड़क की चौड़ाई ज्यादा रहने पर भारी वाहनों का उपयोग किया जायेगा।

3. श्री रवीन्द्र सिंह, पिता—श्री राज कुमार सिंह, ग्राम—बेलौटी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि जब बालू लदे वाहनों से पानी का रिसाव होता है तो आम—जनों को काफी परेशानी होती है।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ऐसी स्थिति में नदियों से बालू खनन कर नदी तट से 300 मीटर के दायरे में एकत्रित किया जायेगा एवं बालू से पानी निकलने के बाद ही ढूलाई की जायेगी।

4. श्री वीरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, पिता—स्व0 राम ईश्वर विश्वकर्मा, ग्राम—बेलौटी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू उत्खनन से पट्टाधारक को तो लाभ होगा, इससे ग्रामीणों को क्या लाभ होगा।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से रोजगार का उत्सर्जन होगा एवं सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा।

5. श्री संजय कुमार, पिता—स्व0 जानकी यादव, ग्राम—कोची, जिला—गया द्वारा सुझाव दिया गया कि जल का छिड़काव जरूरत के अनुसार किया जाय।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ—ही—साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने—जाने के समय या भीड़—भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।



अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2-3 मी० ही की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31/3  
28-9-20  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया

1  
28/9/2020  
अपर समाहर्ता (राजस्व)  
गया

## उपस्थिति सूची

मे० रंजीत कुमार, ग्राम+पो०-तुंगी, जिला-नवादा द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-गुरूआ के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-29 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, गुरूआ, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2020 (शुक्रवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रंजीत कुमार	मोरहर नदी तुंगी	रंजीत 25/9/2020
2.	आशीष कुमार गुप्ता, शेरीफ फार्मिगर	बि० ए० ए० नि० पर्रड पटना	आशीष 25-9-20
3.	शरद नारायण मिश्र सो परिवार अधिवासी	बि० ए० ए० नि० पर्रड पटना	शरद 25-9-20
4.	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	Lucknow - 226012 UP	Jatin K 25/09/2020
5.	Rajesh Kumar	At+Po - Tungji, Miska Nawada	Rajesh 26/09/2020
6.	Sunjay Kumar	At+Po Banche' Guraru Gaya	SunJay/Kumar
7.	Dinesh Singh	Dr. Sharghly	Dinesh Singh
8.	Ch. IC	Ch. Rishi	Ch
9.	Surendrasin	Belauti	S
10.	अशोक गुप्ता	बेलौटी	Banshi
11.	श्याम सुंदर कुमार	अशोक	Shyam Sundar
12.	मो० मो० हीउदीन	ग्राम - मो० ममडुडा, पो० - गुरारु, मिना - गुरारु, बि० - गया	Mohd
13.	Ravi Kumar Yadav	Guraru	Ravi Kumar Yadav
14.	जीतेन्द्र नारायण सिंह	बेलौटी	जीतेन्द्र नारायण सिंह

